18890

R RTE (173) 'C' 09/9/16

राजस्थान सरकार निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा

स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.9(6) शिक्षा–5/यूनिट कॉस्ट/2015 जयपुर, दिनांकः 29-08-16

-9 - SEP 2016

प्राशि/निजी/रास/2496

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः– आर.टी.ई. प्रावधानानुसार निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय (Unit Cost) के निर्धारत बाबत।

संदर्भः– :– आपका पत्र कमांक शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/यूनिट कॉस्ट/18890/16–17/115 दिनांक 10.06.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार राज्य के निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण प्रति बालक व्यय रूपये 14,919/– (अक्षरे चौरह हजार नो सौ उन्नीस रूपये मात्र) प्रतिवर्ष तथा विद्यालयों को प्रति बालक प्रतिवर्ष दी जाने वाली निः शुल्क पाठ्य पुस्तकों की कीमत 110/– रू.किये जाने की निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. यह यूनिट कोस्ट सत्र 2016–17 के लिए लागू होगी।
2. प्रविष्ठ किये गये बालकों का सत्यापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने अपने नियंत्राधीन विद्यालयों में कराया जायेगा।
3. सत्यापन कार्य में प्रवेश प्रकिया की पारदर्शिता एवं बालकों की नियमित उपस्थिति का ध्यान रखा जायेगा।
4. इस यूनिट कोस्ट में निजी विद्यालयों द्वारा बालकों से वसूल किये जा रहे समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित माने जायेगे।
5. इस यूनिट कोस्ट में छात्रों के लिए निर्धारित विद्यालय गणवेश पर होने वाला व्यय सम्मिलित नहीं है।
6. निजी विद्यालय इस अधिनियम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों एवं अन्य सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों के मध्य विद्यालय की सुविधाओं के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगें।
7. यदि विद्यालय को राज्य सरकार/राजस्थान आवासन मण्डल/विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायतों आदि से भू–आवंटन की शर्तों में निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की किसी शर्त का उल्लेख है तो उस शर्त की सीमा तक पुनर्भरण देय नहीं होगा।
8. विभाग इस संबंध में निर्धारित प्रकिया/संबंधित दिशा–निर्देशों एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को सुनिश्चित करेगा तथा निजी स्कूलों में प्रवेश का उचित सत्यापन करने के उपरान्त ही राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगा ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग से उनकी आई.डी. संख्या 101603220 दिनांक 22.8.2016 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

(उमाशंकर त्रिपाठी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

लगातार—2

# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/RTE/C/युनिट कॉस्ट/18890/2016–17/175 दिनांकः– 19-9-16

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–**

1. शासन सचिव, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. आयुक्त, रा.प्रा.शि.प., शिक्षा संकुल, जयपुर ।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया आपके अधिनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्त आदेश प्रसारित करने का श्रम करावें ।
4. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा ।
6. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा ............................ (समस्त)
7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ...................... (समस्त) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्त निर्देश प्रसारित करें ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर